

प्रेषक,

प्राचार्य

राजकीय मॉडल महाविद्यालय
मीठीबेरी (हरिद्वार)

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तराखण्ड

हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक : 222/आन्तरिक परिवाद समिति/2023-24

दिनांक : 11/10/2023

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2482/2014 में पारित आदेश दिनांक:
12/05/2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक: डिग्री विधि अनुभाग/2590/265
/विविध पत्रावली/2023-24 दिनांक : 28/07/2023 के अनुपालन में राजकीय मॉडल महाविद्यालय,
मीठीबेरी (हरिद्वार) में यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के क्रियान्वन हेतु चार सदस्यीय आन्तरिक परिवाद
समिति का गठन निम्नवत कर लिया गया है,

5. डॉ० सुमन पाण्डेय (नोडल अधिकारी)
6. डॉ० लीना रावत (सदस्य)
7. डॉ० सुनीता बिष्ट (सदस्य)
8. डॉ० लक्ष्मी मनराल (सदस्य)

यह सूचना महाविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा
रही है।

भवदीय



(प्रो० सतेन्द्र कुमार)

HC

प्राचार्य

राजकीय मॉडल महाविद्यालय
मीठीबेरी, हरिद्वार